

बिहार विधान परिषद् से प्राप्त तारांकित प्रश्न

श्री सतीश कुमार, माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 188वें सत्र में पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न आ०आ०-02
क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

दिनेश चन्द्र यादव
माननीय मंत्री,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

प्रश्न	उत्तर
।क। क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत बंजरिया प्रखण्ड के बाढ़ पीड़ित 13 पंचायतों के 7523 किसान फसल क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दिया है अंचल के 6727 किसानों के बीच 8592.59 हेक्टेयर भूमि पर लगे फसल रबी (गेहूँ) व मसूर के बर्बाद होने के भरपाई के लिए 11 करोड़ 60 लाख रु० आवंटित किया गया है,	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के प्रतिवेदनानुसार बाढ़ से हुई फसल क्षति के आलोक में फसल क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु किसानों से प्राप्त आवेदन पत्रों को जाँचोपरान्त नियमानुसार स्वीकृत किया गया है।
।ख। क्या यह सही है कि धान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई जिससे किसानों के कमर तोड़ दी है परन्तु अंचल कर्मियों द्वारा राजस्व रशीद तो कभी खेत में खड़े होकर किसान सलाहकारों के साथ फोटो खिचवाने के लिए भगदौड़ तथा आवेदन लेने में तंग तबाह किया जाता है,	
।ग। यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार पूर्वी चम्पारण जिले के बंजरिया प्रखण्ड के किसानों के साथ-साथ अन्य प्रखण्डों में बाढ़ से हुए फसल की क्षति की भरपाई अब तक कितनी की है और अब तक बाढ़ से बर्बाद हुए फसलों की क्षति की राशि को बाढ़ पीड़ित किसानों को नहीं दिया गया है, तो सरकार अंचल कर्मियों के साथ पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहता है, हों तो कब तक नहीं तो क्यों ?	बंजरिया प्रखण्ड में 13 पंचायतों से प्राप्त आवेदन पत्रों के जाँचोपरान्त कुल-4698 किसानों को 4,08,12,795.00 (चार करोड़ आठ लाख बारह हजार सात सौ पंचानवें) रु० का भुगतान कर दिया गया है तथा पूरे जिले में बाढ़ प्रभावित अंचलों में 65189 किसानों के बीच 43,83,38,745.00 (तैतालिस करोड़ तिरासी लाख अड़तालीस हजार सात सौ पैतालिस) रु० का भुगतान किया जा चुका है।

**बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग**

ज्ञापांक-03/वि०प०-अल्प०सू०-02/2018/...../आ०प्र० पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक- 300 (5) (प्र०) वि०प० दिनांक-07.02.2018 के क्रम में कुल 05 (पाँच) प्रतियों में/संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(नरेन्द्र कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-03/वि०प०-अल्प०सू०-02/2018/...../आ०प्र० पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-03/वि०प०-अल्प०सू०-02/2018/.....²⁶⁸⁵...../आ०प्र० पटना-15, दिनांक-^{26/9/18}

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव